


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

द्वितीय विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रू.स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स. लूणी, जोधपुर की अनुशंसा के आक्षार पर श्री जगदीश राम, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, झालामण्ड लूणी, जोधपुर को दिनांक-13.03.2020 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/--(छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/भा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020

दिनांक- 08/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स. लूणी, जोधपुर

3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4-प्रधानाचार्य, राउमावि, झालामण्ड-लूणी, जोधपुर को श्री जगदीश राम, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5-श्री जगदीश राम, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, झालामण्ड-लूणी, जोधपुर

6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर